प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 244/2023

अनवान : –

1. चन्दूराम पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिरानी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. मनीराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. ममता देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. मीरा देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. इमरती देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. विमला देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिया **वादी**

निर्णय दिनांकः 31/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 11/8 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 12/9 की कुल 11.4200 हैक्ट भूमि में से 1771/5710 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मोटाराम के नाम दर्ज थी तथा वादीगण के दादा मोटाराम की फौतदगी के बाद प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त वाद भूमि में 1771/5710 हिस्सा भूमि हिस्से में आयी। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

प्रतिवादीया स0 2 ता 5 वादीगण की बहिन है एवं प्रतिवादी स0 1 की पुत्री है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है आ[illegible] जो [illegible] हक हिस्सा है वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक [illegible] रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 11/8 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार रहेंगे एवं रोही मौजा थिराना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

तहसील नोहर के खाता स0 12/9 की कुल 11.4200 हैक्ट भूमि में से प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1771/5710 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दवा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य पुरानी व नयी जमाबंदी, सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब हक हिस्सा है। वाद भूमि में प्रतिवादी स0 ता 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 11/8 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 12/9 की कुल 11.4200 हैक्ट भूमि में से 1771/5710 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

<u>**क्रियात्मक आदेश**</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 11/8 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा थिराना तहसील

नोहर के खाता स0 12/9 की कुल 11.4200 हैक्ट भूमि में से 1771/5710 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 31/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नीमला

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 244 / 2023
अनवान : –

1. चन्दूराम पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिरानी तहसील नोहर।
3. महेन्द्र पुत्र मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. मनीराम पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
2. ममता देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. मीरा देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. इमरती देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. विमला देवी पुत्री मनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी थिराना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 244 सन 2023 निर्णय दिनांक 31.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 11/8 की कुल 5.5660 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 12/9 की कुल 11.4200 हैक्ट भूमि में से 1771/5710 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 31/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:36:28 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–नीमला